



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 455 राँची, मंगलवार, 3 भाद्र, 1948 (श०)
25 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-1-41/2020-37250 (HRMS)--श्री तेज कुमार हस्सा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-294/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा, लोहरदगा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2030, दिनांक 09.07.2020 के माध्यम से उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-148/अभि0, दिनांक 08.06.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में श्री हस्सा के विरुद्ध निम्नवत् आरोप गठित किया गया-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 08.03.2017 से 28.02.2019 के बीच की अवधि में प्रखण्ड भण्डरा में फर्जी निकासी कर मो०- 1235000/- (बारह लाख पैंतीस हजार) रुपये की वित्तीय अनियमितता की गई है ।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) होने के कारण श्री तेज कुमार हस्सा को इस वित्तीय अनियमितता के अन्य आरोपी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन नाजीर, प्रखण्ड भण्डरा के विरुद्ध उचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। परन्तु श्री तेज कुमार हस्सा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया गया।

3. श्री हस्सा द्वारा अपने कार्यकाल में रोकड़ पुस्त एवं बैंक खातों का कोई Reconciliation भी नहीं किया गया जो झारखण्ड कोषागार संहिता खंड-I के नियम 86 (iv) का उल्लंघन है एवं सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है। कार्यालय प्रधान होने के नाते प्रखण्ड कार्यालय, भण्डरा में उक्त राशि के गबन एवं वित्तीय अनियमितता के लिए श्री तेज कुमार हस्सा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा भी दोषी हैं।

4. श्री तेज कुमार हस्सा द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया जो झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4152, दिनांक-24.08.2020 द्वारा श्री हस्सा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री हस्सा के पत्रांक-932, दिनांक 07.10.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री हस्सा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5710, दिनांक 10.11.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-99 दिनांक-22.03.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री हस्सा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-21835(HRMS), दिनांक 26.06.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-358, दिनांक 07.03.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हस्सा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री हस्सा के विरुद्ध गठित आरोपों की पुनः जाँच करने हेतु विभागीय संकल्प सं0-107, दिनांक 07.01.2026 द्वारा श्री संजय सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख को संचालन पदाधिकारी को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

श्री संजय सिन्हा, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत उनके पत्रांक-260, दिनांक 18.05.2026 द्वारा श्री हस्सा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का पुनर्जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी, श्री तेज कुमार हस्सा के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-01 से 04 को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री हस्सा के विरुद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री हस्सा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-148/अभि0, दिनांक 08.06.2020 द्वारा गठित आरोप से श्री तेज कुमार हस्सा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-294/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरा, लोहरदगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री तेज कुमार हस्सा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	TEJ KUMAR HASSA JHK/JAS/140	विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री हस्सा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-148/अभि०, दिनांक 08.06.2020 द्वारा गठित आरोप से श्री तेज कुमार हस्सा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-294/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरा, लोहरदगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
